

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

सं. 1276/26-प्रशा.अ.ए. (सा.प्रशा.) 2018 दिनांक 23-6-2018

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Pauri Garhwal.

No

Dated

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.945** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Executive Engineer, Division C.D. PWD Baijro for Construction of kothila-Khitotiya Motor Road from N.H. Band** (purpose for diversion of forest land) in **Pauri Garhwal** district falls within jurisdiction of **Kothila, Siroli, Choundi, Dhulkholi mali and Khitotiya** village (s) in **Thalisain** tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.945** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **30.1** to annexure **30.4**
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl:- As above.


Sushil Kumar
District Collector, Garhwal

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

संख्या: 1276/26-प्रशा.अ.वि. (सा.प्रशा.) 2018 दिनांक 23-6-2018

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Pauri Garhwal.

No

Dated

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.945** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Executive Engineer, Division C.D. PWD Baijro for Construction of kothila-Khitotiya Motor Road from N.H. Band** (purpose for diversion of forest land) in **Pauri Garhwal** district falls within jurisdiction of **Kothila, Siroli, Choundi, Dhulkholi mali and Khitotiya** village (s) in **Thalisain** tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.945** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **30.1** to annexure **30.4**
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl:- As above.


(Sushil Kumar)
District Collector, Garhwal

FORM-II

56

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Garhwal.

No. 1276/26-5210/2018

Dated 23-6-2018

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 0.945 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of C.D. PWD Baijro (name of user agency) for **Construction of kothila-Khitotiya Motor Road from N.H. Band** (purpose for diversion of forest land) in Pauri Garhwal district falls within jurisdiction of **Kothila, Siroli, Choundi, Dhulkhali mali and Khitotiya village (s) in Thalishain** tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 303... to 304... annexure 303, 304.
- (b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the gram sabha of Khitotiya villages(s) is enclosed as annexure 303... to annexure 304...
- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (f) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Euel :- As above.

Sushil Kumar
District Collector Garhwal

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT GARHWAL (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Garhwal** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Mr. Shushil Kumar** I.A.S deputy commissioner **Pauri Garhwal** on dated **23.6.18**... at time **11:45 AM**... at **Pauri** in which application claiming rights in **Khatli** area measuring **0.945** hect for the **Construction of kothila-Khitotiya Motor Road from N.H. Band in Bironkhal Block, District Garhwal regarding** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Dhumakot** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place - Pauri

Dated - **23.6.2018**

**Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee**

जिलाधिकारी
पौरी

It is further Certified that minutes of meeting of Construction of kothila-Khitotiya Motor Road from N.H. Band in Bironkhal Block, District Garhwal. Length 6.025 km regarding F.R.A. is as following:-

Sl. No.		Remarks
(a)	The Complete process of identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire 0.945 hectares area proposed for diversion. A copy of record of all consultation and meeting of the forest rights committee (s), Sub Division level committee (s) are enclosed as annexure.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have been given consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to Scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No Objection certificate concerned villages regarding construction of aforesaid construction of motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre agricultural Communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.


Member District Board
Pauri Garhwal


District Social Welfare Officer
Pauri Garhwal

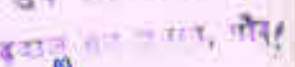

Divisional Forest Officer
Pauri Garhwal


अधिशाली अभियन्ता
Executive Engineer
P.W.D. Division Baijro
बजरो (गढ़वाल)


Deputy Commissioner
Pauri Garhwal
पूरुवा

दिनांक को जिलाधिकारी गढ़वाल की अध्यक्षता में आयोजित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति :-

1- सर्व श्री सुशील कुमार	जिलाधिकारी गढ़वाल	अध्यक्ष 
2- श्री लक्ष्मण सिंह रावत	प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी	सदस्य 
3- श्री 	जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी	सदस्य 
4- श्री यशपाल पटवाल	जिला पंचायत सदस्य श्रीरोखल	सदस्य 

बताया गया कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में एन0एच0 बैंड से कोठिला-खिटोटिया मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण होना प्रस्तावित है, जिनके प्रस्ताव प्राप्त किये गये हैं। उक्त मार्ग हेतु उप स्तरीय समिति द्वारा वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सभी कार्यवाही करते हुये निर्धारित प्रपत्र निर्गत किये गये हैं। मार्ग का विवरण निम्नवत् है:-

1- जनपद पौड़ी गढ़वाल में एन0एच0 बैंड से कोठिला-खिटोटिया मोटर मार्ग :- इस मोटर मार्ग का प्रारम्भ एन0एच0 121 के मैठाणाघाट बाजार के निकट ग्राम सिरोली से है जो 6.025 कि0मी0 लम्बाई में खिटोटिया ग्रामसभा से जुड़ेगा। इस मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम 1. खिटोटिया, 2. सिरोली 3. कोठिला, 4. दुलखोली मल्ली 5. चौण्डी की लगभग 994 की जनसंख्या लाभान्वित होगी। जिसमें 1050.00 मी0 लम्बाई में सिविल वनभूमि, शून्य मी0 में सिविल वनपंचायत भूमि, शून्य मी0 लम्बाई में आरक्षित एवं 4975.00 मी0 लम्बाई में नाप भूमि प्रभावित होगी। मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि पर कोई आदिवासी, जनजाति एवं परम्परागत वनवासी प्रभावित नहीं हो रहे हैं। इस सम्बन्ध में खण्ड स्तरीय समिति थलीसैण द्वारा अपनी संस्तुति दी गई है। उक्त ग्रामों को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु अन्य विकल्पों पर विचारोंपरान्त प्रस्तावित समरेखण ही उपयुक्त पाया गया है।


यशपाल पटवाल
सदस्य
जिला पंचायत
(29 बैठाणा) श्रीरोखल
पौड़ी (गढ़वाल)

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता प्राप्त) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत गठित उपखण्ड स्तरीय समिति थलीसैण से प्राप्त बीरोंखाल ब्लॉक में एन0एच0 बैंड से कोठिला-खिटोटिया मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित सिविल भूमि 0.945 है0, सिविल वन पंचायत भूमि शून्य है0 एवं आरक्षित वन भूमि शून्य है0 इस प्रकार कुल वनभूमि 0.945 है0 लोक निर्माण विभाग को उप खण्ड स्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर जनहित में संक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति प्राप्त की गई है।

सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक का समापन किया गया।

(सुशील कुमार) आई0एच0एस0
जिलाधिकारी
गढ़वाल।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 बैजरो, गढ़वाल

पत्रांक

दिनांक

- प्रतिलिपि -
- 1- जिला समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।
 - 2- प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रवीण बहुखण्डी)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
बैजरो (गढ़वाल)

परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल में एन0एच0 बैंड से कोठिला-खिटोटिया मोटर मार्ग का नव निर्माण। लम्बाई 10.000 कि0मी0 वास्तविक लम्बाई 6.025 कि0मी0

कार्यालय उप जिलाधिकारी, थलीसैण
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, थलीसैण

उपखण्ड थलीसैण परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल एन0एच0 बैंड से कोठिला-खिटोटिया मोटर मार्ग का नव निर्माण। लम्बाई 10.000 कि0मी0 वास्तविक लम्बाई 6.025 कि0मी0 निर्माण के लिये (0.000 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.945 हे0 सिविल वन भूमि, 0.000 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 0.945 हे0 वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील थलीसैण) की दिनांक 20-4-2018 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री समादत्त जोशी, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | | | |
|----|--------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|--|
| 1- | श्री <u>समादत्त जोशी</u> | उपजिलाधिकारी | <u>श्रीमा / थलीसैण</u> | अध्यक्ष | |
| 2- | श्री <u>समादत्त जोशी</u> | उप प्रभागीय वनाधिकारी | <u>श्रीमा के. धर्मावती</u> | सदस्य | |
| 3- | श्री <u>समादत्त जोशी</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | <u>श्रीमान</u> | सदस्य / सचिव | |
| 4- | श्री <u>समादत्त जोशी</u> | बी0डी0सी0 क्षेत्र | <u>श्रीमान सीतल नर</u> | सदस्य | |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल में एन0एच0 बैंड से कोठिला-खिटोटिया मोटर मार्ग का नव निर्माण। लम्बाई 10.000 कि0मी0 वास्तविक लम्बाई 6.025 कि0मी0 निर्माण हेतु 0.945 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, थलीसैण द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड थलीसैण परिक्षेत्र के अन्तर्गत एन0एच0 बैंड से कोठिला-खिटोटिया मोटर मार्ग का नव निर्माण। लम्बाई 10.000 कि0मी0 वास्तविक लम्बाई 6.025 कि0मी0 हेतु 0.945 वन भूमि लोक निर्माण विभाग को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- थलीसैण
जनपद पौड़ी गढ़वाल

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जनपद पौड़ी गढ़वाल
सहायक समाज कल्याण अधिकारी
वि0 डा0 बीरोंखाल

जनपद पौड़ी गढ़वाल
सहायक समाज कल्याण अधिकारी
वि0 डा0 बीरोंखाल

उप प्रभागीय वनाधिकारी
पौड़ी उप वनप्रभाग
मौड़ी

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- थलीसैण
जनपद पौड़ी गढ़वाल

परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल में एन0एच0 बैंड से कोठिला-खिटोटिया मोटर मार्ग का नव निर्माण। लम्बाई 10.000 कि0मी0 वास्तविक लम्बाई 6.025 कि0मी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कोठिला
तहसील पौड़ी गढ़वाल जिला पौड़ी गढ़वाल

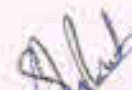
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोठिला एन0एच0 बैंड से कोठिला-खिटोटिया मोटर मार्ग का नव निर्माण। लम्बाई 10.000 कि0मी0 वास्तविक लम्बाई 6.025 कि0मी0 के निर्माण हेतु (0.000 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.000 हे0 सिविल भूमि, 0.945 हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 0.945 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कोठिला द्वारा दिनांक 15/12/2017 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर सम्पत्तियों के सम्पत्तिका अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम उपगोव के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग को जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोठिला के में एन0एच0 बैंड से कोठिला-खिटोटिया मोटर मार्ग का नव निर्माण। लम्बाई 10.000 कि0मी0 वास्तविक लम्बाई 6.025 कि0मी0 के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


ह0/—
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत कोठिला
मुहर सहित
विकास खण्ड कोठिला
जनपद पौड़ी गढ़वाल


ह0/—
ग्राम प्रधान/सारथी
मुहर सहित

:: प्रारूप-30.4 ::

दिनांक 15/12/2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ... कोकिला

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	शुभ वरिष्ठ सिंह ग्राम कोकिला	
2	दीर्घेन्द्र	
3	श्रीधर	
4	सन्तन सिंह	सन्तन सिंह बिहड़
5	कृपाल सिंह	
6	मनोज कुमार	Mang
7	अमील कुमार	
8	रविश कुमार	
9	जगन्ध सिंह	
10	विद्या देवी	विद्या देवी
11	विद्या देवी	विद्या देवी
12	वल्लभ सिंह	
13	वीरेंद्र सिंह	वीरेंद्र सिंह
14	प्रमोद लाल	
15	कलमना देवी	कलमना देवी
16	दुषास सिंह	दुषास सिंह
17	दीर्घेन्द्र सिंह	
18	अरविन्द सिंह	

ह0/-
ग्राम प्रधान

परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल में एन0एच0 बैंड से कोठिला-खिटोटिया मोटर मार्ग का नव निर्माण। लम्बाई 10.000 कि0मी0 वास्तविक लम्बाई 6.025 कि0मी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम दुलखोली मल्की
तहसील थलीसेन जिला पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड जीरोखाल एन0एच0 बैंड से कोठिला-खिटोटिया मोटर मार्ग का नव निर्माण। लम्बाई 10.000 कि0मी0 वास्तविक लम्बाई 6.025 कि0मी0 के निर्माण हेतु (0.000 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.000 हे0 सिविल भूमि, 0.945 हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 0.945 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत दुलखोली द्वारा दिनांक 14/12/20 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम उपगौव के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग को जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड जीरोखाल के में एन0एच0 बैंड से कोठिला-खिटोटिया मोटर मार्ग का नव निर्माण। लम्बाई 10.000 कि0मी0 वास्तविक लम्बाई 6.025 कि0मी0 के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


ग्राम पंचायत अधिकारी
ग्राम दुलखोली मल्की
तहसील थलीसेन
जिला पौड़ी गढ़वाल


ह0/-
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

:: प्रारूप-30.4 ::

दिनांक 14/12/2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत दुलखोली मल्हारी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	सोना प्रकाश	सोना प्रकाश
2	विजय लाल	विजय लाल
3	दिनेश लाल	
4	सुधीर	
5	सोना देवी	सोना देवी
6	इंदु देवी	
7	विजय देवी	
8	सोना देवी	
9	सन्तनसिंह सिंह	सन्तनसिंह सिंह
10	सोना देवी	सोना देवी
11	सोना देवी	सोना देवी
12	प्रताप सिंह	
13	विजय सिंह	विजय सिंह
14	सतेश्वरी देवी	सतेश्वरी देवी
15	जयमाल सिंह	
16	गोहन सिंह	
17	मुन्नी देवी	
18	सोना देवी	

60/ 
ग्राम प्रधान

परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल में एन0एच0 बैंड से कोठिला-खिटोटिया मोटर मार्ग का नव निर्माण। लम्बाई 10.000 कि0मी0 वास्तविक लम्बाई 6.025 कि0मी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम खिटोटिया
तहसील धौलीखण्ड जिला पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड वीरोखल एन0एच0 बैंड से कोठिला-खिटोटिया मोटर मार्ग का नव निर्माण। लम्बाई 10.000 कि0मी0 वास्तविक लम्बाई 6.025 कि0मी0 के निर्माण हेतु (0.000 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.000 हे0 सिविल भूमि, 0.945 हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 0.945 हे0 वन भूमि का **लोक निर्माण विभाग** के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत खिटोटिया द्वारा दिनांक 21.12.19 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों का सम्मानजनक व्यवहार का हंगम नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम उपगाँव के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग को जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड वीरोखल के में एन0एच0 बैंड से कोठिला-खिटोटिया मोटर मार्ग का नव निर्माण। लम्बाई 10.000 कि0मी0 वास्तविक लम्बाई 6.025 कि0मी0 के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0
ग्राम सचिव खिटोटिया
ग्राम पंच मुहर सहित
जिला पंच पौड़ी गढ़वाल
तहसील धौलीखण्ड

ह0/-
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित


:: प्रारूप-30.4 ::

दिनांक 21-12-2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ...खिलेखि...

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	मनवर सिंह रावत	
2	लखन सिंह रावत	
3	शोबिंद सिंह रावत	
4	ठावर सिंह रावत	
5	रजनी व सिंह रावत	
6	कुलदीप सिंह रावत	
7	सुरेश नन्द रावत	
8	रमेश रावत	
9	रमेश रावत	
10	नरेश रावत	
11	हजारा राम ध्यानी	
12	महानन्द नौटियाल	
13	देवानन्द शोह	
14	श्याम सिंह रावत	
15	मोहन सिंह सजवाण	
16	महिला सिंह सजवाण	
17	कमलेश्वर नौटियाल	
18	मनोज नौटियाल	

ह0/2
ग्राम प्रधान

परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल में एन0एच0 बैंड से कोठिला-खिटोटिया मोटर मार्ग का नव निर्माण। लम्बाई 10.000 कि0मी0 वास्तविक लम्बाई 6.025 कि0मी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम खिटोटिया
तहसील खीरखोला जिला पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड खीरखोला एन0एच0 बैंड से कोठिला-खिटोटिया मोटर मार्ग का नव निर्माण। लम्बाई 10.000 कि0मी0 वास्तविक लम्बाई 6.025 कि0मी0 के निर्माण हेतु (0.000 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.000 हे0 सिविल भूमि, 0.945 हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 0.945 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत खिटोटिया द्वारा दिनांक 24.12.16 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोज्य एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम उपगोंव के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग को जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड खीरखोला के में एन0एच0 बैंड से कोठिला-खिटोटिया मोटर मार्ग का नव निर्माण। लम्बाई 10.000 कि0मी0 वास्तविक लम्बाई 6.025 कि0मी0 के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम प्रधान खिटोटिया अधिकारी
ग्राम सचिव खिटोटिया ग्राम खिटोटिया
मुखर सहित खिटोटिया
जनपद पौड़ी गढ़वाल

ह0/-
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुखर सहित



:: प्रारूप-30.4 ::

दिनांक 21.12.2016 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत सिरोली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	योगेश्वर सिंह	योगेश्वर सिंह
2	बलवीर सिंह	बलवीर सिंह
3	सतीश चन्द	सतीश चन्द
4	महिपाल सिंह	महिपाल सिंह
5	दर्शन सिंह	दर्शन सिंह
6	आलम सिंह	आलम सिंह
7	महेश्वरी देवी	महेश्वरी देवी
8	सरोजनी देवी	सरोजनी देवी
9	वीना देवी	वीना देवी
10	अर्जुन सिंह	अर्जुन सिंह
11	जमन सिंह	जमन सिंह
12	बलवन्त सिंह	बलवन्त सिंह
13	लक्ष्मी देवी	लक्ष्मी देवी
14	सत्या देवी	सत्या देवी
15	रिंकी देवी	रिंकी देवी
16	दातेश्वरी देवी	दातेश्वरी देवी
17		
18		

ह0/-
ग्राम प्रधान



परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल में एन0एच0 बैंड से कोठिला-खिटोटिया मोटर मार्ग का नव निर्माण। लम्बाई 10.000 कि0मी0 वास्तविक लम्बाई 6.025 कि0मी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम खिटोटिया
तहसील धौलीखण्ड जिला पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड वीरोखल एन0एच0 बैंड से कोठिला-खिटोटिया मोटर मार्ग का नव निर्माण। लम्बाई 10.000 कि0मी0 वास्तविक लम्बाई 6.025 कि0मी0 के निर्माण हेतु (0.000 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.000 हे0 सिविल भूमि, 0.945 हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 0.945 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत खिटोटिया द्वारा दिनांक 21.11.20 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम उपगोव के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग को जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड वीरोखल के में एन0एच0 बैंड से कोठिला-खिटोटिया मोटर मार्ग का नव निर्माण। लम्बाई 10.000 कि0मी0 वास्तविक लम्बाई 6.025 कि0मी0 के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


ग्राम सचिव खिटोटिया
मुहर सहित पौड़ी गढ़वाल

ह0/-
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित



:: प्रारूप-30.4 ::

दिनांक 21-12-2016 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत - चौहोडी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	अनन्त सिंह	अनन्त सिंह
2	भगवान सिंह	भगवान सिंह
3	भोगल सिंह	भगवान सिंह
4	अनवर सिंह	अनवर सिंह
5	दिवका देवी	दिवका देवी
6	सुमन देवी	सुमन देवी
7	बुसड़ी देवी	बुसड़ी देवी
8	कालेबरी देवी	कालेबरी देवी
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		

ह0/-
ग्राम प्रधान
बंशीधर (पञ्चायत)